

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर की
कार्य परिषद् की दिनांक 30/11/2019 को
सम्पन्न अष्टम् बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित हुये :

1.	प्रो० नरेन्द्र बहादुर सिंह कुलपति, एच०बी०टी०यू०, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	प्रो० विनय कुमार पाठक कुलपति डा० ए०पी०जे०अ०क० प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।	सदस्य
3.	प्रो० करुणाकर सिंह, प्रतिकुलपति, एच०बी०टी०यू० कानपुर	सदस्य
4.	डा० अनिल मिश्रा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल (प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि)	सदस्य
5.	श्री मनोज कुमार निदेशक, आई०आर०डी०टी० कानपुर। (प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा द्वारा नामित प्रतिनिधि)	सदस्य
6.	श्री अजय जौहरी, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, कानपुर मण्डल (प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
7.	प्रो० मनोज कुमार शुक्ला, कुलसचिव, एच०बी०टी०यू० कानपुर	सदस्य-सचिव

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित नहीं हो सके:

1.	प्रो० मणीन्द्र अग्रवाल उपनिदेशक, आई०आई०टी० कानपुर। (शासन स्तर से नामित प्रौद्योगिकविद)	सदस्य
2.	प्रो० राजीव त्रिपाठी निदेशक, एम०एन०आई०टी०, प्रयागराज (शासन स्तर से नामित प्रौद्योगिकविद)	सदस्य
3.	डा० अनिल कुमार स्टेट प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर एस०पी०आई०यू०-यू०पी० / टेक्यूप-III (एमएचआरडी) जानकीपुरम एक्सटेंशन, लखनऊ	विशेष आमंत्रि
4.	निदेशक आई०आई०आई०टी० प्रयागराज	सदस्य
5.	निदेशक आई०आई०टी० कानपुर।	सदस्य
6.	प्रो० मनोज कुलश्रेष्ठ प्रति-कुलपति छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द प्रावि० विश्वविद्यालय पोस्ट-नेवड़, मिलाई, दुर्ग (छत्तीसगढ़)-491107 (ए०आई०सी०टी०ई०, नई दिल्ली द्वारा नामित प्रतिनिधि)	सदस्य

परिषद् के सदस्य-सचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया एवं अध्यक्ष, कार्य परिषद् की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

8.01 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर कार्य परिषद् की दिनांक 12/09/2019 को सम्पन्न सप्तम बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण।

परिषद् ने विश्वविद्यालय की दिनांक 12/09/2019 को सम्पन्न कार्य परिषद् की सप्तम बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण किया।

8.02 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर की कार्य परिषद् की दिनांक 12/09/2019 को सम्पन्न सप्तम बैठक में लिए गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही का विवरण।

परिषद् ने कृत कार्यवाही के सन्दर्भ में निम्न निदेश प्रदान किये:

1. परिषद् ने कतिपय मदों के सापेक्ष "कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है" के अंकन के सम्बन्ध में निदेश दिये कि भविष्य में कृत कार्यवाही का विवरण लिखते हुये अंकित किया जाय कि कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।
2. परिषद् ने मद सं० 7.05 एवं 7.06 के अन्तर्गत निदेश दिये कि सभी निर्माण कार्य से सम्बन्धित इकाईयों से एम०ओ०यू० तत्काल किया जाय जिसमें यह भी उल्लेख किया जाय कि निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करें और निर्माण सम्बन्धी कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य नहीं होगा।
3. परिषद् ने मद सं० 7.09 के सम्बन्ध में निदेश दिये कि विश्वविद्यालय में चल रहे अंश कालिक पाठ्यक्रमों की वैधता के सम्बन्ध में अभातशिप से स्थिति स्पष्ट करा ली जाय।
4. शिक्षकों को सत्रान्त लाभ अनुमन्य किये जाने के मद सं० 7.11 के सम्बन्ध में परिषद् ने निदेश दिये कि सम्बन्धित सेवानिवृत्त शिक्षकों को सत्रान्त लाभ शैक्षिक सत्र समाप्त होने अथवा नई भर्ती होने तक, जो भी पहले घटित हो तक ही अनुमन्य होगा।

परिषद् ने अवशेष कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।

8.03 विश्वविद्यालय की वित्त समिति की दिनांक 22/11/2019 को सम्पन्न 10वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय वित्त समिति की दिनांक 22/11/2019 को सम्पन्न 10वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया।

8.04 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् की दिनांक 13/11/2019 को सम्पन्न षष्ठम् बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की दिनांक 13/11/2019 को सम्पन्न षष्ठम् बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया।

8.05 विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की दिनांक 14/11/2019 को सम्पन्न सप्तम बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने वर्तमान बैठक की कार्यसूची में प्रस्तुत वित्त समिति के कार्यवृत्त में भवन निर्माण समिति पर विचार हो जाने के परिपेक्ष्य में प्रस्ताव को वापस लिये जाने के निर्देश दिये।

8.06 विश्वविद्यालय में संचालित पं० दीन दयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (डा०ए०पी०जे०अ०क० प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा पोषित) परियोजना की प्रगति आख्या के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय में संचालित पं० दीन दयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (डा०ए०पी०जे०अ०क० प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा वित्त पोषित) की वर्तमान प्रगति आख्या पर संतोष व्यक्त किया।

8.07 प्रो० राकेश कुमार त्रिवेदी, आयल टेक्नालॉजी विभाग से सम्बन्धित प्रकरण जो कार्य परिषद् की प्रथम बैठक में मद सं० 1.41.08 के अंतर्गत परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, पर परिषद् द्वारा पारित निर्णय के क्रम में प्रो० त्रिवेदी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार करने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने निर्देश दिये कि विश्वविद्यालय वित्त अनुभाग की सहमति लेते हुए प्रस्ताव अगली बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाय।

8.08 विश्वविद्यालय में संचालित भारत सरकार की विश्व बैंक सहायित परियोजना टेक्युप-III के सुचारु संचालन हेतु कुलपति/अध्यक्ष कार्यपरिषद् द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों को परिषद् के संज्ञान में लाये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने भारत सरकार की विश्व बैंक सहायित परियोजना टेक्युप-III के सुचारु संचालन हेतु कुलपति/अध्यक्ष कार्यपरिषद् द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों को संज्ञान में लेते हुये अनुमोदन प्रदान किया।

8.09 श्री आर०एस० अग्निहोत्री, फोरमैन गैस प्लान्ट (बर्खास्त) को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने श्री आर०एस० अग्निहोत्री के प्रकरण पर निर्देश दिये कि इस सम्बन्ध में अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, कानपुर मण्डल को पत्र प्रेषित कर सुझाव/राय भी प्राप्त कर ली जाय, तदोपरान्त समुचित प्रस्ताव अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

8.10 उत्तर प्रदेश शासन प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा जारी अधिसूचना सं० 4434/सोलह-1-2019-08(03)/2018 दिनांक 25/11/2019 को विश्वविद्यालय में अंगीकृत करने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने उत्तर प्रदेश शासन प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा जारी अधिसूचना सं० 4434/सोलह-1-2019-08(03)/2018 दिनांक 25/11/2019 को अंगीकृत किया और रोस्टर के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले शासनादेशों के अनुरूप कार्यवाही हेतु कुलपति/अध्यक्ष, कार्य परिषद् को अधिकृत किया।

8.11 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य मद पर विचार।

8.11.01 श्री प्रदीप कुमार, लैब अटेंड, गणित विभाग (निलम्बित) के प्रकरण पर विचार।

परिषद् ने जाँच समिति द्वारा जाँच कर "फैक्ट" देने के स्थान पर "ओपीनियन" दिये जाने पर रोष व्यक्त करते हुये जाँच रिपोर्ट को अस्वीकार किया और प्रकरण में तत्काल एफ०आई०आर० दर्ज कराये जाने व धन की रिकवरी किये जाने के निर्देश दिये।

8.11.02 विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्ति उपरान्त सत्रान्त लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।


परिषद् ने शिक्षकों को सत्रान्त लाभ दिये जाने पर सहमति व्यक्त करते हुये वर्तमान बैठक के मद सं० 8.02.4 के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये।


8.11.03 विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2018-19 में एम०टेक० मैकेनिकल इंजी० विद्या में अध्ययनरत कुल 05 छात्रों को दीक्षान्त समारोह में उपाधि दिये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2018-19 में एम०टेक० मैकेनिकल इंजी० विद्या में अध्ययनरत कुल 05 छात्रों जिनका परीक्षा परिणाम बिलम्ब से घोषित हुआ है, को दीक्षान्त समारोह में उपाधि दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

8.11.04 विश्वविद्यालय में प्रति कुलपति की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने प्रो० करुणाकर सिंह द्वारा प्रतिकुलपति के रूप में किये गये कार्यों की सराहना की। परिषद् ने विश्वविद्यालय में वर्तमान में उपलब्ध 26 आचार्यों की सूची को संज्ञान में लेते हुये विश्वविद्यालय अधिनियम-2016 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रो० मनोज कुमार शुक्ल, आचार्य, इलेक्ट्रानिक्स इंजी० को प्रतिकुलपति का दायित्व सौंपे जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।


(प्रो० मनोज कुमार शुक्ल)
सचिव


(प्रो० एन०बी० सिंह)
अध्यक्ष